तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टि0ए0 / 2189 / 2005 / गंगानगर करनैल सिंह बनाम बहादुर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-10-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित–** श्री सतवीर सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर (राजस्व), श्रीकरणपुर द्वारा दिनांक 09–03–2005 को प्रकरण संख्या 128/2000 शीर्षक बहादुर सिंह बनाम करनैल सिंह में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/गैर निगराकार संख्या–1 बहादुर सिंह द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 प्रस्तुत किया। प्रतिवादी/निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10सी0पी0सी0 सहपठित धारा 151, सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 2–4–2002 को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश होने पर माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 26–08–2004 से प्रकरण को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया कि तनकी संख्या 4 को पहले निर्णित किया जाये और इसके साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10सी0पी0सी0पर भी निर्णय पारित किया जाये। तहत न्यायालय ने तनकी संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादी/निगराकार के विरुद्ध बहक वादी/गैर निगराकार संख्या–1 किया है और साथी ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10सी0पी0सी0 को भी अविधिक रुप से निरस्त किया गया है। योग्य अधिवक्ता का बहस में मुख्य रुप से यही कथन रहा है कि वादी द्वारा पूर्व में भी दावा किया था और उसी सम्पत्ति को ले कर धारा 183 के तहत नया वाद दायर किया गया है। वादी एवं इसके रिश्तेदारों ने प्रश्नगत भूमि का इकरारनामा प्रतिवादी/निगराकार के पक्ष में किया था और इसी भूमि को ले कर माननीय उच्च न्यायालय में सिविल अपील कर रखी है जो कि लंबित है। अतः इस अपील के निर्णय होने तक वर्तमान वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए था। प्रार्थी भूमि पर इकरारनामे के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टि0ए0 / 2189 / 2005 / गंगानगर करनैल सिंह बनाम बहादुर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आधार पर काबिज है और दोनों प्रकरणों में निहित आराजी समान है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने ये भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 का निर्णय भी गलत रुप से वादी के पक्ष में किया है जब कि प्रार्थी इकरारनामा के आधार पर खातेदार हो गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10सी0पी0सी0 को स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि प्रतिवादी/निगराकार की ओर से वादपत्र में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया है किन्तु यह चलने योग्य नहीं रहा है क्योंकि पूर्व में प्रस्तुत किया गया वाद अंतर्गत धारा 53-88-183 आर0टी0ए0 के तहत था और वर्तमान वाद अन्तर्गत धारा 183 के तहत रहा है। पूर्व के वादपत्र को न्यायालय की अनुमति ले कर विड्रा कर धारा 183 के तहत नवीन वाद प्रस्तुत किया गया है। मौजूदा वाद पत्र व पुराने वादपत्र के पक्षकारान व अनुतोष भी समान नहीं है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में "विशिष्ट अनुतोष" का वाद प्रस्तुत किया था जिसे खारिज किया गया है। जो इकरारनामा वादी व उसकी बहिनों के द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में किया गया था वह मियाद बाहर हो चुका है और दावा खारिजी के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। आराजी वादी के नाम खातेदारी में अंकित है। विनिर्दिष्ट पालना अनुबन्ध की रिलीफ एवं धारा 183 की रिलीफ दोनों अलग अलग है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के संभावित निर्णय का वर्तमान वाद के निर्णय पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड रहा है। प्रकरण को अनावश्यक देरीना करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक, क्षेत्राधिकार सम्बन्धी या विधिक भूल नहीं है, अतः निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत निगरानीधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। निगरानी को खारिज किया जाये। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/गैर निगराकार संख्या-1 बहादुर सिंह द्वारा करनेल सिंह, जनरेल सिंह पि0 हजूर सिंह के विरुद्ध परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 चक नं0 37 एफ के मु0नं0 25 के किला नम्बर 5 के 10	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टि0ए0 / 2189 / 2005 / गंगानगर करनैल सिंह बनाम बहादुर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिस्वा, 6 सालम, 7 के 10 बिस्वा, 14 ता 17 सालम, 24–25 साल कुल 8 बीघा आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है जब कि इससे पूर्व धारा 53, 88, 183 के तहत वाद पत्र अनुवानी बसन्त कौर बनाम करनैल सिंह प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 11–9–2000 को अनुमति ले कर व नया दावा लाने की स्वीकृति से विड्रा किया गया था, अतः पूर्व के वाद के निर्णय के आधार पर नया दावा लाने पर धारा 10 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। धारा 53, 88, 183 एवं धारा 183 का अनुतोष भी समान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है इकरारनामे में सात व्यक्ति थे और अगर उक्त इकरारनामे के द्वारा भूमि प्रतिवादी को उच्च न्यायालय से प्राप्त होती है तो वह वादी के हिस्से तक प्रभावित है परन्तु दोनों प्रकरणों में समान पक्षकार नहीं है और ना ही अनुतोष भी एक समान है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये निगरानीधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है, फलतः निगरानी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	